



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू० ओ० नोट

विषय : राजस्व किशनबाग तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 39 एवं 49 की
90ए प्रकाशन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व ग्राम किशनबाग तहसील जयपुर के खसरा नम्बर
39 एवं 49 की लोक सूचना 90ए के प्रकाशन हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
संलग्न : उपरोक्तानुसार

X
उपायुक्त, जोन-2
उपायुक्त जोन-2
ज.वि.प्रा. जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-1895
दिनांक 18-8-23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, जोन-02
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:

दिनांक :

लोक सूचना

ग्राम किशनबाग विकास समिति जरिये अध्यक्ष श्री मनोहर प्रसाद गुप्ता 11, 12, 13 बरसीसीतारामपुरा झोटवाडा, रोड, नेहरू नगर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक, प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम, तहसील व जिला का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	आवेदित 90ए का क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1	ग्राम किशनबाग तहसील जयपुर	भूप चौधरी पत्नी श्री महेश कुमार चौधरी	39	0.5944	0.5944
		गोपीराम पुत्र श्री सुन्दर लाल हि. 1/2 राधा मोहन पुत्र सत्यनारायण हि. 1/2	49	1.8464	1.8464
			कुल किता 2	2.4408	2.4408

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18-8-23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
उपायुक्त जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय:-विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना कानाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	मेसर्स सांवरिया बिल्डर्स जरिये प्रो. श्री महेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री मोहन लाल सैनी	श्रीमती रजू देवी पत्नी श्री बदी प्रसाद कुमावत	30	133.11 व.ग.	भैरव गृ.नि.स.स.	उदय नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	सदस्य सूची में नाम नहीं होने के आधार पर
2.	श्री योगेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह	श्री बलजीत सिंह पुत्र स्व. श्री रिसाल सिंह	134	330.73 व.ग.	मित्र गृ.नि.स.स.	परसराम नगर स्कीम नं. 3	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	उत्तराधिकार के आधार पर
3.	श्रीमती संतोषलता पत्नी श्री किसनाराम कुमावत	श्रीमती कमलेश राठौड पत्नी श्री मूलचन्द राठौड	155 नार्थ पार्ट	97.05 व.ग.	म्युचुअल हा.का.सो.	तारा नगर-ए	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर
4.	श्री हेमराज खण्डेलवाल पुत्र श्री शिव प्रसाद खण्डेलवाल	श्री शिव प्रसाद खण्डेलवाल पुत्र श्री सूरजमल खण्डेलवाल	60	190.00 व.ग.	मित्र गृ.नि.स.स.	स्कीम नं. 5	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	पंजीकृत हकत्याग व पैतृक सम्पत्ति विभाजन पत्र के आधार पर
5.	श्री रामावतार मिश्रा पुत्र श्री ग्यारसी लाल मिश्रा	श्री स्नेहपाल चौधरी पुत्र श्री चन्द चौधरी	164	266.66 व.ग.	म्युचुअल हा.का.सो.	स्कीम नं. 25 शिव नगर व शिव नगर द्वितीय	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	दस्तावेज गुम हो जाने के आधार पर
6.	श्री जगमोहन सिंह पुत्र स्व. श्री बदलेराम सुजी	श्री चौथमल पुत्र केशर लाल माली	डी-33	300.00 व.ग.	मोती भवन गृ.नि.स.स.	गणेश नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	पंजीकृत ईकरारनामा के आधार पर

उपायुक्त जोन-6

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण

जनसम्पर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी-

2569


दिनांक:-

17-8-23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय:-विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना कानाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती सुधीरा पत्नी श्री राजकुमार	श्री राधेश्याम जखोडिया पुत्र स्व. श्री रामेश्वर दास जखोडिया	12	293.00 व.ग.	म्युचुअल हा.का.सो.	स्कीम नं. 25 शिव नगर व शिव नगर द्वितीय	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	सदस्य सूची में नाम अंकित नहीं होने के आधार पर
2.	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री धर्मपाल सिंह	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री धर्मपाल सिंह	36	188.33 व.ग.	मोती भवन ग.नि.स.स.	स्कीम नं. 4	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	मूल दस्तावेज गुम होने के आधार पर
3.	श्री राधेश्याम पुत्र श्री छीतरमल	श्री लक्ष्मण बलाई पुत्र श्री गंगाराम बलाई	479	50.00 व.ग.	जविप्रा	मुरलीपुरा स्कीम	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	अपंजीकृत ईकरारनामा के आधार पर

उपायुक्त जोन-6

जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-6

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी- 2587

दिनांक:- 18.8.23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकसंदेशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषय:- प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत नियमन शिविर के सम्बन्ध में।

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री गोपीराम	नारायण देवी पत्नी स्व.श्री गोपीराम	08	300.36	निजी खातेदार खसरा नम्बर 70, 71	करणी कॉलोनी	लीजडीड जारी करने हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
2	श्रीमती सन्ध्या देवी पत्नी श्री गोदूराम	खातेदार राधेश्याम पुत्र गोदुराम, बाबूलाल पुत्र नानूराम	34	333.33	निजी खातेदार खसरा नम्बर 52, 53	श्री रामनगर कॉलोनी-ए	एकल पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
3	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी रामस्वरूप	ललिता देवी शर्मा पत्नी गोपाल शर्मा	46	340.00	निजी खातेदार खसरा नम्बर 52, 53	श्री रामनगर कॉलोनी-ए	एकल पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
4	श्याम सुन्दर जांगिड पुत्र श्री नागरमल जांगिड	खातेदार लच्छीराम पुत्र कालूराम अग्रवाल	38	166.66	निजी खातेदार खसरा नम्बर 52, 53	श्री रामनगर कॉलोनी-ए	एकल पट्टा जारी करने हेतु	पंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
5	संतोष देवी जांगिड पत्नी श्री श्याम सुन्दर जांगिड	श्रीमती रागनी देवी पत्नी नानक चन्द-	44	343.33	निजी खातेदार खसरा नम्बर 52, 53	श्री रामनगर कॉलोनी-ए	एकल पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
6	मुन्शीलाल वर्मा पुत्र सुखाराम वर्मा	सत्यनारायण पुत्र मदनलाल	45	341.1	निजी खातेदार खसरा नम्बर 52, 53	श्री रामनगर कॉलोनी-ए	एकल पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
7	गीतादेवी शर्मा पत्नी सुरेश कुमार शर्मा	विक्रम सिंह शेखावत पुत्र मक्तुल सिंह शेखावत	35बी	166.66	निजी खातेदार खसरा नम्बर 52, 53	श्री रामनगर कॉलोनी-ए	एकल पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
8	गिरधारी लाल जांगिड पुत्र	अशोक कुमार मदन,	37	166.67	निजी खातेदार	श्री रामनगर	एकल पट्टा	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : (rajasthan.gov.in)

उपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

	नागरमल जांगिड	लच्छीराम पुत्रान् कालूराम			खसरा नम्बर 52, 53	कॉलोनी-ए	जारी करने हेतु	सम्बन्ध में।
9.	सुरेश कुमार शर्मा पुत्र गोदूराम शर्मा	अशोक कुमार मदन, लच्छीराम पुत्रान् कालूराम	35	166.66	निजी खातेदार खसरा नम्बर 52, 53	श्री रामनगर कॉलोनी-ए	एकल पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।

उपस्थित जोन-6

जविप्रा, जयपुर जोन-6

जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि— जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र से प्रकाशन का श्रम करावे।

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.जोन-06/23/डी- 2586

दिनांक: 18.8.23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : (rajasthan.gov.in)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-2095

दिनांक 16/8/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड / दुकान	भूखण्ड क्षेत्र (व0ग0)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जवि प्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अजय मालपानी पुत्र श्री नवरत्न मालपानी	श्री प्रमोद कुमार गोस्वामी पुत्र स्व0 श्री शिव कुमार गोस्वामी	21	449.77	निजी खातेदारी	शक्ति सरोवर	लीजडीड	हकत्याग, सजरा, मृत्यु प्रमाण पत्र व अपंजीकृत इकरारनामा होने से।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2023/डी-1711

दिनांक 14-03-2023

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	121	शिव गोरक्ष नगर	श्री तेजपाल मीणा पुत्र श्री कन्हैया लाल मीणा	श्री तेजपाल मीणा पुत्र श्री कन्हैया लाल मीणा	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान एवं रसीद के आधार पर
2	121ए	शिव गोरक्ष नगर	श्री डालूराम मीणा पुत्र श्री कन्हैया लाल मीणा	श्री डालूराम मीणा पुत्र श्री कन्हैया लाल मीणा	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान एवं रसीद के आधार पर
3	122	शिव गोरक्ष नगर	श्री कन्हैया लाल मीणा पुत्र श्री ज्ञाना राम मीणा	श्री कन्हैया लाल मीणा पुत्र श्री ज्ञाना राम मीणा	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान एवं रसीद के आधार पर
4	119	शिव गोरक्ष नगर	श्री प्रभु नारायण मीणा पुत्र श्री ज्ञाना राम मीणा	श्री प्रभु नारायण मीणा पुत्र श्री ज्ञाना राम मीणा	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान एवं रसीद के आधार पर

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईमेल - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240 : ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषय:- विज्ञप्ति प्रकाशन दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदकों द्वारा सन्धित के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	विज्ञप्ति प्रकाशन का कारण
1	श्री कैलाश चन्द यादव पुत्र श्री प्रभुदयाल यादव	श्री कैलाश चन्द यादव पुत्र श्री प्रभुदयाल यादव	98	102.7	सुभाष सिंधी	पवनपुरी ईस्ट	नियमन	अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड कास किया हुआ है। अतः अनुमोदित किया जाना है।

जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी-2562 दिनांक 16.08.2023

उपायुक्त जोन-6

जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-6

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- ६४१०

दिनांक 16-8-23

:- आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा	श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा	130	616.85	निजी खातेदारी	श्याम वाटिका फेज-II	फ्री-होल्ड पट्टा	डुप्लीकेट दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
2.	श्री हर्षवर्द्धन रांठीड पुत्र श्री पृथ्वीराज रांठीड	इन्द्रा कंवर पत्नी श्री दीपसिंह	सी-236	120.00	जविप्रा	रजत विहार	फ्री-होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र के अनुसार।

आवेदक द्वारा उक्त के आधार पर फ्री-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फ्री-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1626

दिनांक 17/2/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गू.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री राजेश चौपड़ा पुत्र श्री भंवर लाल	श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र श्री भगवान दास गुप्ता	 651	325 व. ग.	नवजीवन	विद्युत नगर-ए	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी फोटो प्रति दस्तावेजों एवं अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर


उपायुक्त, जोन-7
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त, जोन-7, जयपुर।
जयपुर, राजस्थान

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त, जोन-7
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-2108

दिनांक 17.8.23

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	203B	श्री रूपसिंह सोलंकी पुत्र श्री उमराव सिंह सोलंकी	बाबा आर.एन. गौड गृ.नि.स.स.लि.	न्यू चंदलाई नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
2.	62A-I	श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री महादेव	बाबा आर.एन. गौड गृ.नि.स.स.लि.	न्यू चंदलाई नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
3.	39A	श्रीमती सम्पति देवी पत्नी श्री राजू लाल प्रजापत	बाबा आर.एन. गौड गृ.नि.स.स.लि.	न्यू चंदलाई नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
4.	131A	श्री सेवत सिंह राजावत पुत्र श्री सुमेर सिंह राजावत	बाबा आर.एन. गौड गृ.नि.स.स.लि.	न्यू चंदलाई नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
5.	22	श्रीमती रिमपल बेदी पुत्र स्व. श्री जयदीप बेदी	निजी खातेदारी	शिव विहार	नाम हस्तान्तरण हेतु
6.	B-439	निहारीका पुरोहित पुत्री श्री रमेश कुमार पुरोहित	जविप्रा	अभिनव विहार	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु।
7.	121B	श्री भंवर लाल जाट पुत्र श्री रामकरण जाट	राभराजपुरा गृ.नि.स.स.लि.	गोविन्द विहार-ए	फ्री होल्ड पट्टा हेतु।
8.	B-469	श्रीमती अरुणा रानी पत्नी श्री रमेश कुमार गुप्ता	निजी खातेदारी	बालाजी एनक्लेव-बी	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
9.	A-389	श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी पुत्र श्री रामकरण चौधरी	निजी खातेदारी	सैग्विन ऑफिसर्स कैम्पस	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु
10.	B-468	श्रीमती अरुणा रानी पत्नी श्री रमेश कुमार गुप्ता	निजी खातेदारी	बालाजी एनक्लेव-बी	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
11.	14/OF/S/78	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
12.	22	श्रीमती शान्ती देवी सैनी पत्नी श्री प्रभाती लाल सैनी	इन्द्रा विकास गृ.नि.स.स.लि.	श्रवण विहार	फ्री होल्ड पट्टा हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकारी

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102796

दिनांक: 17/08/2023

लोक सूचना

श्री BHUTORIA OIL INDUSTRIES PVT.LTD. JARIYE AUTHORIZED PERSON MUKESH JAIN पुत्र श्री CHETAN KUMAR JAIN जाति JAIN निवासी 56 NETAJI SUBHAS ROAD KOLKATA
श्री RAM CHARAN MEENA पुत्र श्री KISHAN LAL MEENA जाति MEENA निवासी B 868 FLAT NO 104CHURCH NEW ASHOK NAGAR MAYUR VIHAR EAST DELHI

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले कानाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	यारलीपुरा उर्फ सदाशिवपुरा, चाकसू (जयपुर)	M/S BHUTORIA OIL INDUSTRIES PVT. LTD	674	5400	0.5400
2.	यारलीपुरा उर्फ सदाशिवपुरा, चाकसू (जयपुर)	M/S BHUTORIA OIL INDUSTRIES PVT. LTD	675/1	2000	0.2000
3.	यारलीपुरा उर्फ सदाशिवपुरा, चाकसू (जयपुर)	RAM CHARAN MEENA	676/1	100	0.0100
4.	यारलीपुरा उर्फ सदाशिवपुरा, चाकसू (जयपुर)	RAM CHARAN MEENA	677/1	1600	0.1600
				कुल	0.9100

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17.08.2023 को जारी की गयी।

— 34 r
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि :-

- 1 जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त लोक सूचना का प्रकशन समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:— लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर के संलग्न खसरानुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1


भणायुक्त एकप्रयुक्त अधिकारी
जोन्-14, ज.वि.प्रा. जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन्-14/2023/डी-2109

दिनांक: 18.8.23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102806

दिनांक: 18/08/2023

लोक सूचना

श्री SURESH JAIN पुत्र श्री LATE. PHOOL CHAND JAIN जाति JAIN निवासी F-184, PANCHSHEEL MARG C- SCHEME JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	श्री रामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	SURESH JAIN S/O PHOOL CHAND JAIN	461	400	0.04
2.	श्री रामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	SURESH JAIN S/O PHOOL CHAND JAIN	507	4200	0.42
3.	श्री रामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	SURESH JAIN S/O PHOOL CHAND JAIN	509	1500	0.15
4.	श्री रामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	SURESH JAIN S/O PHOOL CHAND JAIN	510	200	0.02
5.	श्री रामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	SURESH JAIN S/O PHOOL CHAND JAIN	511	11800	1.18
6.	श्री रामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	SURESH JAIN S/O PHOOL CHAND JAIN	512	900	0.09
कुल					1.9

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18-08-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-14



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102789

151-3461

DATED- 16/8/23

लोक सूचना


खातेदार आवेदक मैसर्स नेचर लिविंग डेवेलपर्स प्राईवेट लिमिटेड कार्यालय पता फ्लैट न. 103, श्री अपार्टमेंट दयानन्द मार्ग तिलक नगर, जयपुर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-सिरोली	मैसर्स नेचर लिविंग डेवेलपर्स प्राईवेट लिमिटेड कार्यालय पता फ्लैट न. 103, श्री अपार्टमेंट दयानन्द मार्ग तिलक नगर, जयपुर	2365	0.3600 हैक्टेयर
तहसील-सांगानेर		2366	0.4300 हैक्टेयर
जिला-जयपुर			
कुल		कुल किता 02	0.7900 हैक्टेयर


इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16/8/23 को जारी की गयी।


उपस्थित अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।


उपस्थित अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकराईशन: (8320); फैक्स: +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक- जविप्रा/जोन-14/2023/डी- 2121

दिनांक 18/08/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी (डिग्री रोड से पहाडिया लाखना रोड को जोड़ने वाली) सेक्टर सड़क व व्यावसायिक पट्टी में आ रही भूमि ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील माधोराजपुरा के ख.न. 308 रकबा 0.4932 हैक्ट. ख.न. 310 रकबा 0.1770 हैक्ट. एवं ख.न. 317 रकबा 0.3288 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 0.9990 हैक्ट. में खातेदार नाथूलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3, प्रहलाद पुत्र मूलाराम हिस्सा 1/6, भंवरलाल पुत्र मूलाराम हिस्सा 1/6 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन 14 कार्यालय में 7 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क (अधिकारी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली

उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक : जविप्रा / जोन-12 / 2023 / डी-85/8

दिनांक : 17-8-2023

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर।

विषय :- 90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईट में राज्स स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराये का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

LU2012/JDA/2023-24/102765

दिनांक : 17.08.2023

लोकसूचना

श्रीमती पूनम पत्नी श्री गोकुल चन्द जाति कुमावत, निवासी-थर्ड ब्लॉक 8सी, अरिहन्त याकुन्त अपार्टमेन्ट, 123-125 ब्रोकाली रोड, पुरासावाकम चेन्नई, तमिलनाडू ।


मे इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक (एकल पट्टा) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1.	नीदड, आमेर (जयपुर)	श्रीमती पूनम पत्नी श्री गोकुल चन्द हिस्सा पूर्ण	2650/4	525.00	0.0525
			2650/5	525.00	0.0525
				कुल	0.1050

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17.08.2023 को जारी की गयी।


17.08.23

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-2344

दिनांक 18/8/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 30 मीटर चौड़ी सड़क सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के खसरा नम्बर 3590/1310 रकबा 0.7713 हैक्ट. में से रकबा 0.4239 हैक्ट. ख.नं. 3591/1310 रकबा 0.7966 हैक्ट. में से रकबा 0.4260 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 हैक्ट. के खातेदार लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री घासी जाति बैरवा सी-68, बैरवा कॉलोनी, बंजाज नगर जिला जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना


निम्न आवेदकों द्वारा आवासीय लीजडीड/फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती गीता राजपुरोहित	श्री मदन सिंह राजपुरोहित	124	205.5 व.मी.	जविप्रा	विधानसभा सचिवालय समूह आवास योजना विस्तार	फ्री होल्ड पट्टा	मूल लीजधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हकत्याग पत्र आदि।
2	श्रीमती विमलेश ओझा	श्रीमती विमलेश ओझा	14	240.00 व.ग.	अरविन्द नगर गृ.नि.स.स.	इन्द्रप्रस्थ	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
3	श्री प्रफूल्ल ओझा	श्री प्रफूल्ल ओझा	15	240.00 व.ग.	अरविन्द नगर गृ.नि.स.स.	इन्द्रप्रस्थ	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
4	श्री विजेन्द्र सिंह	श्री विजेन्द्र सिंह	37-ए	80.00 व.ग.	नवभारत गृ.नि.स.स.	विक्रम विहार	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।

उक्त दस्तावेजात् के आधार पर उक्त भूखण्डों का पट्टा आवेदकों के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2023/डी-1635-
दिनांक :- 15/8/23


उपायुक्त जॉन-7,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
उपायुक्त एवं जयपुर प्राधिकरण
जॉन-7, जविप्रा, जयपुर

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 1637

दिनांक 18/8/2023

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **महावीर स्वामी गु.नि.स.स.लि. की योजना- भुवनेश्वरी वाटिका विस्तार** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
मीनावाला तह.-जयपुर	136 139	1.0876 1.6187	<ol style="list-style-type: none"> 1. कैलाश पुत्र सोहन हिस्सा-1/120 2. गुल्ली पत्नि स्व0 लखमा हिस्सा-1/6 3. गोदू पुत्र रामू हिस्सा-1/12 4. छोटेला ल पुत्र सोहन हिस्सा-1/120 5. जगदीश पुत्र गुल्ला हिस्सा-1/36 6. डालू पुत्र रामू हिस्सा-1/12 7. नाथूलाल पुत्र मंगला हिस्सा-1/18 8. नारायण पुत्र सोहन हिस्सा-1/120 9. नारायण पुत्र श्योनारायण हिस्सा-1/6 10. बद्री पुत्र चंद्रा हिस्सा-1/12 11. बरजी पत्नि स्व0 सोहन हिस्सा-1/120 12. बाबूलाल पुत्र मंगला हिस्सा-1/18 13. भगवानसहाय पुत्र चंद्रा हिस्सा-1/24 14. मंगली पत्नि स्व0 गुल्ला हिस्सा-1/36 15. राधेश्याम पुत्र सोहन हिस्सा-1/120 16. रामप्यारी पत्नि स्व0 मंगला हिस्सा-1/18 17. रामसहाय पुत्र नन्दा हिस्सा-1/24 18. सीताराम पुत्र रामनाथ हिस्सा-1/24 19. नाबालिंग हरिनारायण पुत्र गुल्ला संरक्षक नाबा.संरक्षिका

			माता मंगली बेवा गुल्ला हिस्सा-1/36 सर्वजाति- मीना सा. देह खातेदार
मीनावाला तह.-जयपुर	137	1.4038	1. अविनाश पुत्र नेनू हिस्सा- 1/12 2. औमप्रकाश पुत्र नेनू हिस्सा- 1/12 3. कैलाशचन्द पुत्र श्रवण हिस्सा- 1/8 4. गोपाल पुत्र रूपा हिस्सा- 1/4 5. पप्पूलाल पुत्र श्रवण हिस्सा- 1/8 6. रतनलाल पुत्र नेनू हिस्सा- 1/12 7. रामफूल पुत्र सावंता हिस्सा- 1/4 सर्वजाति- मीना सा देह खातेदार
मीनावाला तह.-जयपुर	140	0.7714	1. नैन्या पुत्र चन्दा हिस्सा- 1/9 2. बरजी पत्नि स्व. सोन्या हिस्सा- 1/6 3. भगवाना पुत्र चन्दा हिस्सा- 1/9 4. रामसहाय पुत्र चन्दा हिस्सा- 1/3 5. लादू पुत्र चन्दा हिस्सा- 1/9 6. सीताराम पुत्र रामनाथ हिस्सा- 1/6 सर्वजाति- मीना सा देह खातेदार
मीनावाला तह.-जयपुर	155 157	0.3288 0.3415	1. भगवानसहाय पुत्र चन्दा हिस्सा- 1/4 2. रामसहाय पुत्र चन्दा हिस्सा- 1/4 3. सीताराम पुत्र रामनाथ हिस्सा- 1/4 4. सोहन पुत्र लक्ष्मण हिस्सा- 1/4
मीनावाला तह.-जयपुर	156 158	0.3288 0.3288	1. ग्यारसा पुत्र रामदेव हिस्सा- 1/3 2. छोटू पुत्र रामदेव हिस्सा- 1/3 3. डालू पुत्र रामदेव हिस्सा- 1/3
कनकपुरा तह. जयपुर	12	2.2131	1. कैलाश चन्द शर्मा पुत्र हनुमानसहाय शर्मा हिस्सा- 1/16 2. गणेश नारायण पुत्र रामू हिस्सा- 1/20 3. गोपाल पुत्र मांगू हिस्सा- 1/16 4. छोटी पत्नि स्व रामू हिस्सा- 1/20 5. जगदीश नारायण पुत्र रामू हिस्सा- 1/20 6. प्रभू पुत्र मांगू हिस्सा- 1/16 7. बद्री पुत्र चौथू हिस्सा- 1/4 8. भौरीलाल पुत्र रामू हिस्सा- 1/20 9. मोहनलाल पुत्र रामू हिस्सा- 1/20 10. रामनिवास पुत्र रामनारायण हिस्सा- 1/4 11. लिछमीनारायण पुत्र मांगू हिस्सा- 1/16
कनकपुरा तह. जयपुर	22	0.0253	1. उर्मिला पुत्री लालचन्द हिस्सा- 1/5 2. गुलाबचन्द पुत्र लालचन्द हिस्सा- 1/5 3. नाना देवी पत्नि लालचन्द हिस्सा- 1/5 4. राजू पुत्र लालचन्द हिस्सा- 1/5 5. लता पुत्री लालचन्द हिस्सा- 1/5 जाति- बागडा ब्राह्मण सा देह खातेदार


प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 18/9/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

- SD -
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. तहसीलदार जयपुर


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2023/डी-173\

दिनांक 18-08-2023

विज्ञप्ति/ सूचना

आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का लीजहोल्ड (पट्टा विलेख) जारी करने हेतु ऑफलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किराी व्यक्ति/संस्था/हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहरस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में लीजहोल्ड (पट्टा विलेख) जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक/आवेदिका का नाम	मूल आवंटनधारि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ए-458	न्यु पिक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सिद्धार्थ नगर-ए	श्री पुरुषोत्तम मीणा पुत्र श्री गंगाविशन मीणा	श्री सुरेश सेनी पुत्र श्री मोहन लाल	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद एवं सोसाईटी के आवंटन पत्र के पीछे हस्तान्तरण, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत वसीयत के आधार पर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहरस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240 : ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1636

दिनांक 18/08/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दरस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स.स./निजी स्वामित्वकारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्री विमल चौधरी एवं श्री शंकर चौधरी पुत्रान श्री धीसाराम चौधरी	श्री विमल चौधरी एवं श्री शंकर चौधरी पुत्रान श्री धीसाराम चौधरी	पुर्नगठित भू.सं. डी- 12, डी-13	आवासीय	हनुमान नगर- डी (मोती भवन गृ.नि.स.स.)	1311.10 व.ग.	आवासीय	मिश्रित

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापित के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 2123

दिनांक 18/8/23


आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू.क्षे. व0ग0	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जवि प्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री जगदीश नारायण गुर्जर पुत्र श्री लादूराम गुर्जर	स्वयं	196-ए	216.66	बन्धु गृ.नि.स. स	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	सदरस्थता सूची में किसी और का नाम अंकित होने से।


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8310} : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम लाखना, तहसील सांगानेर के संलग्न खसरानुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1


उपायुक्त
संयुक्त एवं सहायक अधिकारी
जो. 14, जवि.प्रा. जयपुर
जो. 14 जवि.प्रा. जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी- 2112

दिनांक:- 18/08/2023

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102820

दिनांक: 18/08/2023

लोक सूचना

श्री OM PRAKASH JAT पुत्र श्री RAMU LAL JAT जाति JAT निवासी TIBA KI DHANI, SHIKARPURA, SANGANER, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-


क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	566	1000	0.1
2.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	567	300	0.03
3.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	568	400	0.04
4.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	569	500	0.05
5.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	570	900	0.09
6.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	571	300	0.03
7.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	573	200	0.02
8.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	574	3200	0.32
9.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	575	3200	0.32
10.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	576	600	0.06
11.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	580	2300	0.23
12.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	581	2300	0.23
13.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	582	1600	0.16
14.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	583	1500	0.15
15.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	585	100	0.01
16.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	586	200	0.02
17.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	587	2800	0.28
18.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	588	1100	0.11
19.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	591	300	0.03

20.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	584	1500	0.15
21.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	OM PARKASH JAT	614	8200	0.82
कुल					3.25

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **18-08-2023** को जारी की गयी।


 प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
 जोन-14 जयपुर